

22.09.2022:- प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने वादपत्र नया में नया वाद प्रस्तुत करने कि अनुमति के साथ वर्तमान स्तर पर विद्वा करवा लिया है। वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूक्त में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

★ सत्यमेव जयते
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

